

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 366 / 14

संस्थापन दिनांक:-19 / 06 / 14

फाईलिंग नं. 233504004962014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

कल्पना पति जितेंद्र मोखड़े
 उम्र 24 वर्ष, निवासी गोविंद कॉलोनी आमला,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.02.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 309 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 04.06.2014 को 05:00 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत गोविंद कॉलोनी वार्ड नं. 07 आमला स्थित अपने घर में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2014 को थाना आमला में पदस्थ प्रधान आरक्षक गोविंदराव कोलेकर को पाठर अस्पताल चौकी से जांच हेतु तहरीर प्राप्त हुई। जांच के दौरान पाया गया कि अभियुक्त कल्पना ने पारिवारिक टेंशन के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया जिस पर थाना आमला में अभियुक्त कल्पना के विरुद्ध अपराध क्र. 415/14 अंतर्गत धारा 309 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के

अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

5 अंजना अहाते (अ.सा.-1), लक्ष्मी (अ.सा.-2), संजना (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त कल्पनाबाई ने घर पर गलती से कोई दूसरी दवाई खा ली थी जिससे उसे उल्टियां होने लगी थी और फिर उसे ईलाज के लिए आमला अस्पताल लेकर आये थे। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

6 डॉ. मैरी पापड़े (अ.सा.-6) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह वर्ष 2007 से पाढर अस्पताल में मेडिकल रिकार्ड ऑफिसर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 04.06.2014 को डॉ. प्रशंसा मेडिकल ऑफिसर के पद पर पाढर अस्पताल में पदस्थ थी वह उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उक्त दिनांक को आहत कल्पना जहरीला पदार्थ खाने से पाढर अस्पताल में भरती हुई थी जिसका मेडिकल परीक्षण डॉ. प्रशंसा ने किया था। परीक्षण में डॉक्टर ने पाया था कि आहत ने एल्यूमीनियम फास्फेट खा लिया था। साक्षी के अनुसार डॉ. प्रशंसा द्वजरा आहत के चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में दी गयी एलएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-10) है जिस पर डॉ. प्रशंसा के हस्ताक्षर हैं।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-5) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 09.06.2014 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत कल्पनाबाई का परीक्षण किये जाने पर उसने अभियुक्त कल्पना को स्वस्थ पाया था। साक्षी ने आहत के स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-9) को प्रमाणित किया है।

8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 04.06.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी को आमला से प्रदर्श पी-4 की लिखित तहरीर अभियुक्त द्वारा सल्फास की गोलियां खाकर अस्पताल लाये जाने बाबत प्राप्त होना तथा दिनांक 08.06.2014 को पाढर चिकित्सालय से प्रदर्श पी-5 का पत्र, अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी-6 एवं कथन थाना प्रभारी आमला को प्राप्त होना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि थाना प्रभारी द्वारा उसे प्राप्त सूचना जांच हेतु सौंपे जाने पर उसने दिनांक 08.06.2014 को अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 415/14 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-7) एवं घटना स्थल जाकर (प्रदर्श प्री-3) का मौका नक्शा एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-8) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा अभियुक्त के कथन लेख करने पर अभियुक्त ने उसके पति की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर गेहूं में रखने वाली सल्फास की गोली आत्महत्या करने के लिए खाना स्वीकार किया था।

9 गोविंद कोलेकर (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में यह बताया है कि अस्पताल की तहरीर प्राप्त होने के चार दिन बाद वह घटना स्थल पर गया था। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि तहरीर के आधार पर ही उसके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियां प्रमाणित होती है।

10 घटना दिनांक 04.06.2014 की है। प्रदर्श पी-4 की तहरीर के अवलोकन से यह प्रकट है कि उक्त दिनांक को अभियुक्त सल्फास की गोलियां खा लेने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में आयी थी जिसे रेफर किया गया था। प्रदर्श पी-6 की सूचना जो कि पाढर अस्पताल की सूचना जो कि थाना प्रभारी आमला को भेजी गयी थी उसके अवलोकन से दर्शित है कि साक्षी जहरीला पदार्थ पने के कारण उपचार हेतु आयी थी। चिकित्सक साक्षी मैरी पापड़े पाढर अस्पताल ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त जब ईलाज के लिए आयी थी तो उसको आये हुए लक्षण किसी अन्य दवाई का सेवन कर लेने से भी आ सकते है।

11 अभियोजन का समर्थन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है। पाढर अस्पताल की (प्रदर्श प्री-6) की जो सूचना थाना प्रभारी को प्रेषित की गयी है उसमें आहत के द्वारा जहरीला पदार्थ पीना लेख है जबकि उसके परीक्षण में एल्युमिनीयम फास्फेट की गोली खाना प्रकट हुआ है। डॉ. साक्षी मैरी पापड़े ने गलती से अन्य दवाई का सेवन कर लेने पर अभियुक्त को घटना दिनांक को

परीक्षण में जो लक्षण पाये गये थे वैसे लक्षण आना संभावित बताया है। समस्त अभियोजन अंजना अहाते (अ.सा.-1), लक्ष्मी (अ.सा.-2) एवं संजना (अ.सा.-3) ने भी यह बताया है कि गलती से अभियुक्त के द्वारा गलत दवाई का सेवन कर लिया गया था। विवेचक साक्षी गोविंद कोलेकर (अ.सा.-4) को घटना दिनांक को ही तहरीर प्राप्त हो जाने पर भी विवेचक साक्षी के द्वारा तत्काल पश्चात अभियुक्त के कोई जांच कथन लेख नहीं किये गये। उपर्युक्त परिस्थितियां अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न करती हैं।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। फलतः अभियुक्त कल्पना को भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)